संख्या-20/2017/850/क0नि0प्र0/26-3-17-18(121)/98

प्रेषक,

सुधा श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊ:दिनांक: 28 सितम्बर,2017
समाज कल्याण विभाग

विषयः- उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित टंकण/आशुलिपि, हथकरघा एवं बढ़ईगीरी प्रशिक्षण योजनान्तर्गत कार्यरत स्टाफ के अधिष्ठान व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्र संख्या-1401/लेखा अनुभाग/2017-18 दिनांक 08-09-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण योजना, हथकरघा तथा बढ़ईगीरी प्रशिक्षण योजनान्तर्गत कार्यरत स्टाफ के अधिष्ठान पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के व्यय हेतु शासनादेश संख्या-14/2017/436/क0नि0प्र0/26-3-17-18(121)/98 दिनांक 23 मई,2017 के क्रम में अवशेष धनराशि रू0 2,47,56,000/- (रू0 दो करोड़ सैंतालिस लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि अनुदान स्वरूप स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित कर व्यय की जायेगी तथा व्यय की गयी धनराशि का मदवार विवरण शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। उक्त अनुदान के उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के नियम लागू होगें। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उपर्युक्त धनराशि शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार व्यय की जायेगी। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा इसके लिए संबंधित जनपदों के जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

5- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या–83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0105-अनुसूचित जाति के युवकों के लाभार्थ विविध प्रशिक्षण योजनायें(के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 20/2017/850(1)/क.नि.प्र./26-3-2017 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर,लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग,लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग,उ0प्र0शासन।

5- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।